उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक B/5467/ जबलपुर, दिनांक : 01/08/2023

दो–2–50/2012

(प्रतिलिपि – प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का ज्ञापन कमांक 2741/2023/21–ब(एक) दिनांक 9.6.2023 की छायाप्रति)

प्रतिलिपि :–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राज्य के समस्त
2. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर
3. रजिस्ट्रार, समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राज्य के समस्त
5. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर
6. संचालक/अतिरिक्त संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उत्सादित म.प्र.राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
8. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर
9. सहायक(यात्रा भत्ता)/यात्रा भत्ता लिपिक/चिकित्सा लिपिक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
10. रजिस्ट्रार (आई.टी) की ओर उच्च न्यायालय म.प्र. की बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(विकास चंद्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन).

2

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
09 JUN 2023
जबलपुर

स्पीड पोस्ट

मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 2741/2023/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 09/06/2023

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः–म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2022 के नियम–6(3) 'बाह्य रोगी उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति' के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने बावत्।

संदर्भः–म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर का ज्ञापन क्र. ए/594/दो–2–50/12 दि. 24.2.2023 तथा स्मरण पत्र क्र. बी/2442/दो–2–50/12 दि. 29.3.2023।

——00——

उपरोक्त विषयक संदर्भित ज्ञापन के संबंध में संयुक्त संचालक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति द्वारा निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया गया है :–

1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 मध्यप्रदेश के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 03.08.2022 को अधिसूचित की गई है।
2. उपरोक्त अनुसार विभाग द्वारा बाह्य रोगी उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रावधान नियम 6 (1), (2) एवं (3) अंतर्गत वर्णित हैं।
3. उपरोक्त उपबंध उन रोगियों से संबंधित प्रतिपूर्ति के बिलों को लागू नहीं होंगे जो ऐसे रोग से पीड़ित हो जिनके बारे में संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने विहित प्रपत्र–तीन में इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया हो कि उस रोग का लम्बे समय तक उपचार किया जाना आवश्यक अथवा संभावित है।

   तथापि, ऐसा प्रमाण पत्र एक बार में एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा किन्तु उसका समय समय पर एक बार में एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जो कि आवश्यक हो, नवीनीकरण किया जा सकेगा और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र की विशिष्टियों से युक्त एक रजिस्टर ऐसी रीति में संधारित की जाएगी जो कि सरकार द्वारा विहित हो। ऐसे रोगों के लिए रूपये 20,000/– की सीमा लागू नहीं होगी।

अतः संयुक्त संचालक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति द्वारा प्रदान किया गया उपरोक्त अभिमत आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(विनोद कुमार द्विवेदी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur
09 JUN 2023